एक नजर में

कलेक्टर ने वन स्टॉप सेंटर का किया औचक निरीक्षण

आलीराजपुर। कलेक्टर नीतू माथुर ने आज वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वन स्टॉप सेंटर की संचालक से कार्यप्रणाली एवं उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। ओएससी की संचालक द्वारा बताया गया कि जो भी पीड़िता अस्थाई आश्रय के लिए आती हैं उनकी व्यक्तिगत फाइल अलग से बनाई जाती है। उनकी काउंसिलिंग की जाती है। उन्हें पुलिस सहायता, कानूनी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कलेक्टर श्रीमती माथुर ने सेंटर के रजिस्टर का निरीक्षण कर आवश्यक अभिलेखों की जांच की तथा सेंटर में संचालित किचन को भी देखा। उन्होंने सेंटर की साफ-सफाई एवं किचन में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता के विषय पर भी चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीड़ित महिलाओं को समय पर आवश्यक सहयोग और सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस दौरान वन स्टॉप सेंटर की संचालक श्रीमती हिमानी राठौड़ एवं वन स्टॉप सेंटर के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

कार्य में लापरवाही बरतने पर दो पटवारी निलंबित

आलीराजपुर । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री तपीस पांडे द्वारा निर्वाचन कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर तहसील आलीराजपुर के दो पटवारियों को निलंबित किया गया है। नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 01 से 18 तक की मतदाता सूची 2025 के प्रारूप में मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि देखी गई थी। इस पर एसडीओ राजस्व द्वारा वार्ड क्रमांक 12 एवं 10 के मतदाताओं की वास्तविक स्थिति का सत्यापन कराने हेतु पटवारी श्री विरेंद्र उईके और श्री मांगू सिंह चौहान को स्थल पर जांच का दायित्व सौंपा गया था।किन्तु दोनों पटवारियों द्वारा निर्वाचन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतते हुए जांच कार्य को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसे प्रशासन ने अत्यंत गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1), (2) एवं (3) तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत दोनों अधिकारियों को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान दोनों पटवारियों का मुख्यालय तहसील आलीराजपुर निर्धारित किया गया है। प्रशासन ने इस कार्रवाई के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि निर्वाचन कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जिम्मेदारी में चूक करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मोरझरी में कलेक्टर ने किया शा. एकीकृत माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला का निरीक्षण

मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का स्वयं किया परीक्षण

झाबुआ । कलेक्टर नेहा मीना ने मोरझरी स्थित शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला एवं शासकीय प्राथमिक शाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कक्षा 8वीं में छात्र-छात्राओं से संवाद करते हुए बच्चों ने विद्यालय में विद्युत आपूर्ति न होने की समस्या बताई। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम थांदला को निर्देशित किया कि एमपीईबी के जूनियर इंजीनियर को तत्काल बुलाकर समस्या का निराकरण सुनिश्चित करें। साथ ही कलेक्टर ने बीईओ को ऐसे सभी विद्यालयों की जानकारी लेकर जहाँ मेंटेनेंस कार्य शेष है, वहाँ शीघ्र मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए। विज्ञान विषय की कक्षा में शेड्यूल के अनुसार अक्टूबर माह तक पाठ्यक्रम पूर्ण न होने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया कि कक्षाओं में सिलेबस की सतत मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को नियमित गृहकार्य दिया जाए, उसकी चेकिंग सुनिश्चित हो, तथा गाइड पुस्तकों के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित किया जाए। शासकीय प्राथमिक शाला में कलेक्टर ने मध्यान्ह भोजन में परोसी जा रही खीर, पूड़ी और सब्जी का स्वाद लेकर उसकी गुणवत्ता की जाँच की और आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थांदला महेश मण्डलोई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बच्चों के अश्लील वीडियो करता था वायरल

▶ मेटा की सूचना पर सायबर सेल ने पकड़ा, आरोपी को भेजा जेल

नव भारत न्यूज

इंदौर. राज्य सायबर सेल इंदौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नाबालिग बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. यह कार्रवाई अमेरिका स्थित कंपनी मेटा इंक फेसबुक/इंस्टाग्राम द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार को दी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई.

जांच में सामने आया कि आरोपी कमल लोबानिया निवासी इंदौर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बने उन समूहों में सक्रिय था, जहां बच्चों से संबंधित प्रतिबंधित वीडियो साझा किए जा रहे थे. वह इन वीडियो को डाउनलोड कर व्हाट्सऐप समूहों में भेजता था. ऑपरेशन नयन अभियान के तहत सायबर सेल की टीम ने तकनीकी विश्लेषण के बाद आरोपी को दबोच लिया. उसके पास से मोबाइल और सिम जब्त किए गए हैं. आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की के तहत केस दर्ज किया है. सायबर सेल ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लेटफार्म पर बाल अश्लील सामग्री दिखे तो उसकी तुरंत शिकायत करें और ऐसे समूहों से दूर रहें, क्योंकि अश्लील सामग्री का प्रसारण या डाउनलोड करना गंभीर अपराध है.

विजयी मुहूर्त में श्री ऋषभदेव बावन जिनालय के सभी शिखरों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम

▶ भगवान की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन हुए शामिल

झाबुआ। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री जैन श्वेतांबर श्री संघ द्वारा श्री ऋषभदेव बावन जिनालय के सभी शिखरों पर 5 नवंबर, बुधवार को ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान की भव्य रथ यात्रा भी बैंड-बाजों के साथ निकाली गई। समस्त आयोजन परम् पूज्य साध्वी रत्नरेखा श्रीजी मसा आदि ठाणा-3 की निश्रा में धूमधाम से एवं हर्षोल्लासपूर्वक संपन्न हुए।

जानकारी देते हुए श्वेतांबर जैन श्री संघ मीडिया प्रभारी रिंकू रूनवाल ने बताया कि बावन जिनालय में निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रात: 6.30 बजे भक्तामर स्त्रोत एवं गुरू गुण इक्कीसा पाठ हुआ। सुबह 7 बजे से बावन जिनालय के सभी शिखरों पर ध्वजारोहण निमित्त सत्तरभेदी पूजन का लाभ डॉ. गौरवकुमार जितेन्द्रकुमार, छबीलचंद रूनवाल परिवार द्वारा लिया गया। पूजन विधिकारक ओएल जैन एवं श्री आदिनाथ राजेन्द्र जयंत संगीत मंडल द्वारा संपन्न करवाई गई। 8 बजे विजयी मुर्हुत में 'ऊँ पुण्याहं-पुण्याहं, ऊँ प्रियताम-प्रियताम' के मंत्रोच्चार के से जिनालय के सभी 52 शिखरों पर ध्वजारोहण लाभार्थी परिवारों द्वारा किया गया। मुख्य मूलनायक आदिनाथ भगवान के शिखर पर ध्वजा का लाभ स्व. केसरीमल की स्मृति में दिलीप, विशाल, समय राठौर परिवार ने लिया। जिनालय के समस्त 52 शिखरों पर लाभार्थी परिवारों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ ध्वज फहराया गया। दादा गुरूदेव की ध्वजा के लाभार्थी लीलाबाई शांतिलाल भंडारी परिवार रहा एवं सांभरण के कलश की अष्टप्रकारी पूजन का लाभ सुजानमल, चन्द्रसेन, प्रकाश, अभय, प्रदीप जैन परिवार द्वारा लिया गया। 9.30 बजे से बावन जिनालय से भगवान की बैंड-बाजों एवं ढोल-धमाकों के साथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। यह रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुन: मंदिर पहुंची।

देववंदन कर आरती की

दोपहर करीब 11 बजे पोषध शाला भवन में श्री शत्रुंजय तीर्थपट के समक्ष देववंदन एवं आरती की गई। इस दौरान भाता के लाभार्थी दिलीपकुमार केसरीमल, समय राठौर परिवार रहा। दोपहर 12.30 बजे से श्री संघ की ओर से सभी के लिए साधर्मी वात्सल्य का आयोजन श्री ऋषभदेव बावन जिनालय स्थित धर्मशाला में रखा गया। दोपहर 1.30 बजे से श्री सिद्धाचल नव्वाणु प्रकार पूजन का लाभ स्व. बाबुलाल नवलखा की स्मृति में जतनबेन नवलखा, यतिन्द्र, हार्दिक नवलखा परिवार द्वारा लिया गया। सभी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में समाज के श्रावक-श्राविकाएं उपस्थित रहे।

जनपद पंचायत झाबुआ में स्थाई सीईओ नहीं होने से जनप्रतिनिधि हो रहे परेशान

▶ सभी विकास और निर्माण कार्य पड़े है ठप्प, योजनाओं में भुगतान भी समय पर नहीं हो रहा

झाबुआ। जिला मुख्यालय स्थित झाबुआ जनपद आजादी के बाद से ही कांग्रेस के कब्जे में रहीं है। पहली बार झाबुआ जनपद में भाजपा ने अपना कब्जा अध्यक्ष के रूप में जमाया है, तब से प्रशासन और शासन की ओर से उपेक्षा का शिकार बनती जा रहीं है, ऐसा जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधियों और सरपंचों का कहना है।

प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के चलते झाबुआ जनपद के सभी विकास और निर्माण कार्य रुके पड़े है। जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल स्थल पर नहीं पहुंच पा रहा है। कारण बताया जाता है कि ना तो कलेक्टर, ना जिला पंचायत सीईओ, ना प्रभारी मंत्री और ना ही क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जिसके चलते जनपद पंचायत के सारे सरपंच और जनपद सदस्य हैरान और परेशान है। कलेक्टर नेहा मीना और जिला पंचायत सीईओ जितेन्द्रसिंह चौहान ने अपनी हठधर्मिता और तानाशाही दिखाते हुए झाबुआ जनपद के प्रभारी सीईओ के रूप में एक महिला नायब तहसीलदार को पदस्थ कर दिया है, जिसे जनपद के कार्य पद्धति और कार्य करने का तरीका ही नहीं आता है, ऐसे में झाबुआ जनपद के सारे काम और विकास की योजना तथा जनकल्याणकारी योजनाएं ठप्प पड़ी है। समय पर विभिन्न योजनाओं का भुगतान भी नहीं हो रहा है। प्रभारी सीईओ को कार्य का अनुभव नहीं होने से डरकर काम करती है या फिर बहाना बनाती है कि अभी देखेंगे ,बाद में करेंगे इस प्रकार के कथन के चलते सारे प्रतिनिधि आक्रोश से भरे पड़े है। प्रभारी सीईओ के खिलाफ किसी दिन भी यह आक्रोश सड़क पर उतर सकता है।

सभी का रवैया सुस्त बना हुआ है

इस मामले में जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हरू भूरिया ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि ना तो प्रभारी मंत्री, ना ही कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और महिला एवं बाल विकास मंत्री इस समस्या के निदान के लिए कोई सक्रिय पहल नहीं कर रहे है, जिससे जनपद पंचायत से जुड़े सारे जनप्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त है। जनपद झाबुआ की इस समस्या का समाधान कौन करेगा, यह जन चर्चा का विषय बना हुआ है। समस्या दिन-प्रतिदिन विकराल बनती जा रहीं है। इस ओर जल्द ही ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

लंगर में हजारों श्रद्धालुओं ने की भोजन प्रसादी ग्रहण

मेघनगर. बुधवार को नगर के देवाणा परिवार द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गुरु नानक जयंती दुम धाम से मनाई परिवार द्वारा जयंती के अवसर पर लंगर का आयोजन किया लंगर दोपहर 12 से प्रारंभ हुआ लंगर शाम 6 बजे तक चला आयोजित लंगर मे हजारो कि संख्या में श्रद्धालुओ ने पहुंचकर भोजन प्रसादी ग्रहण की इस से पुर्व गुरु नानक जी का सुन्दर आसन बनाकर चित्र स्थापित किया दोपहर में आरती कर प्रसाद वितरण किया वहीं रात्रि में भंजन संध्या का आयोजन कर अतीश बाजी कर जन्मदिन मनाया गया देवाणा परिवार के सदस्य भोपत देवाणा दिलीप देवाणा ने सभी श्रद्धालुओं का आयोजन को सफल बनाने पर आभार व्यक्त किया

पंजाबी एवं सिंधी समाज ने धूमधाम से मनाई गुरूनानक जयंती

▶ घरों पर श्री गुरूनानक देव की तस्वीर विराजमान कर करणा प्रसाद का भोग लगाकर अरदास की गई

झाबुआ। शहर के पंजाबी एवं सिंधी समाज द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 5 नवंबर, बुधवार को श्री गुरूनानक भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से एवं हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर समाजजनों ने अपने-अपने घरों पर पूजा मंदिर में श्री गुरूनानक भगवान की तस्वीर विराजमान कर भगवान को करणा प्रसाद का भोग लगाकर अरदास की गई। समाजजनों ने एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं भी प्रेषित की।

जानकारी देते हुए पंजाबी समाज की वरिष्ठ आज्ञा छाबड़ा एवं सिंधी समाज की गायत्री सावलानी ने बताया कि श्री गुरूनानक भगवान के जन्मोत्सव को प्रकाश पर्व के रूप में हर वर्ष मनाया गया है। श्री गुरूनानक देव सिक्ख समाज के संस्थापक होकर श्री गुरूनानकजी ने एकता एवं आपस में भाईचार और प्रेम का संदेश दिया है। श्री गुरूनानक भगवान का जन्मोत्सव प्रकाश पर्व के रूप में मनाने का अर्थ है, अंधियारे से उजाले की ओर ले जाना, इसलिए समाजजन इस दिन दिनभर विभिन्न आयोजन करते है। भगवान की अरदास (प्रार्थना) कर आरती के साथ प्रसादी वितरण और रात्रि में आतिशबाजी भी की जाती है।

भगवान को करणा प्रसाद और हलवे का भोग लगाया- समाजजनों ने इस दिन अपने घरों पर पूजा मंदिर में श्री गुरूनानक देव की तस्वीर विराजमान कर उन्हें करणा प्रसाद और हलवे का भोग लगाया। बाद अरदास में परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की गई। आरती कर सभी को प्रसाद वितरण किया गया। समाजजनों ने भगवान के जन्मोत्सव की एक-दूसरे को बधाई दी। रात्रि में आतिशबाजी की गई। पर्व को लेकर पंजाबी एवं सिंधी समाजजनों में दिनभर उत्साह बना रहा।

67वें स्थापना दिवस पर किया ध्वजारोहण

मेघनगर . विश्व पूज्य दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वरजी महाराज के शिष्य, व्याख्यान वाचस्पति श्रीमद विजय यतीन्द्र सुरीश्वरजी महाराज साहब द्वारा स्थापित अखिल नवयुवक परिषद् के 67वे स्थापना दिवस कार्तिक सुदी पूर्णिमा के शुभ दिन श्री राजेन्द्र सूरी जैन ज्ञान मंदिर प्रांगण में चारों परिषद की स्थानीय इकाई एवं श्रीसंघ द्वारा परिषद स्थापना दिवस पर परिषद् का झंडावंदन व परिषद् गीत का उद्घोष कर संस्था कि स्थापना के उद्देश्य पर खरा उतरने का संकल्प लिया।

परिषद प्रवक्ता दिविक कावड़िया ने बताया कि, परिषद अध्यक्ष देवेंद्र जैन, महामंत्री राहुल लोढ़ा, महिला परिषद अध्यक्ष स्नेहलता कावड़िया, उपाध्यक्ष साधना लूनिया द्वारा ध्वजारोहण किया गया।

एक नजर ▶ परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि शासन इस आदेश को तत्काल रद्द नहीं करतो तो आंदोलन होगा

वन विभाग के आदेश के खिलाफ आदिवासी विकास परिषद का सोंडवा में होगा आंदोलन, ज्ञापन सौंपा

आलीराजपुर । आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री महेश पटेल ने कहा है कि वन विभाग, अलीराजपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 5136/दिनांक 24-10-2025 के खिलाफ परिषद 15 नवंबर 2025 को सोंडवा में एक विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित करने जा रही है। परिषद ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि शासन इस आदेश को तत्काल रद्द नहीं करता तो आंदोलन तेज और व्यापक रूप ले सकता है।

क्या कहता है वन विभाग का आदेश- आदेश के अनुसार नर्मदा नदी के तट के दोनों ओर 5-5 कि.मी. (कुल लगभग 10—13 कि.मी. परिधि) के दायरे में किए गए 13/12/2005 के बाद हुए अतिक्रमणों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। आदेश में टास्क-फोर्स गठित करने, संबंधित उप विभागीय अधिकारियों व थाना प्रभारियों को कार्रवाई हेतु निर्देशित करने तथा अतिक्रमणों की सूची प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। यह निर्देश 'अविरल निर्माण नर्मदा अभियान' और वन संरक्षण से जुड़ी अन्य सरकारी सर्कुलरों के हवाले से जारी किए जाने का उल्लेख है। पारिषद ने प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुखत: ये माँगे रखी हैं;1. आदेश क्रमांक 5136 (24/10/2025) को तत्काल निरस्त किया जाए। 2. जंगल/प्राकृतिक संसाधन से जुड़ी नीतियाँ/आदेश लागू करने से पहले ग्राम सभा की स्वीकृति (*Gram Sabha consent*) अनिवार्य की जाए।3. वन अधिकार अधिनियम, 2006 (स्नक्र) के अंतर्गत आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।4. आदिवासी क्षेत्रों की किसी भी योजना/निर्णय में स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य हो। प्रशासन और आगे की संभावित कार्रवाई.

आदेश में टास्क-फोर्स गठित करने और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई हेतु निर्देश देने का उल्लेख है; वहीं परिषद ने यह स्पष्ट किया है कि वे किसी भी बुलडोज़र किस्म की कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण परंतु संयुक्त रूप से संघर्ष करेंगे। स्थानीय स्तर पर पहले भी परिषद की ओर से छकतला व अन्य क्षेत्रों में जागरूकता और विरोध के कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं आगामी आंदोलन जो डाबड़ी उम्दा आदि स्थानों में भी प्रभावित निवासियों की बड़ी हिस्सेदारी की सम्भावना जताई जा रही है।

कानूनी रूप से यदि वन भूमि पर वास्तविक अतिक्रमण पाया जाता है तो प्रशासन के पास हटाने के विवेकाधिकार हो सकते हैं; परंतु स्नक्र2006, पंचायती राज की धाराएँ (क्क्ष्र 1996) और संविधान की पाँचवीं अनुसूची के सम्बन्ध में आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों पर भी संवैधानिक सुरक्षाएँ हैं। ऐसे मामलों में सरकार और वन विभाग के निर्देशों को लागू करने से पहले ग्राम सभा की सहमति, विवादित सर्वे और पारदर्शी सुनवाई अनिवार्य मानी जाती है। स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता, आजीविका व पुनर्वास से जुड़े प्रश्नों का समाधान न किए बिना कठोर कदम आगे बड़े सामाजिक संघर्ष को जन्म दे सकते हैं।

परिषद का आरोप 'आदिवासियों को उजाड़ने की साजिश

प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने इस आदेश को आदिवासी समुदायों के विरुद्ध गंभीर साजिश करार दिया है। उनके मुताबिक़ यह आदेश उन गांवों जैसे ककराना, आकड़िया, मथवाड़ तथा नर्मदा पट्टी के आदिवासी बस्तियों के लोगों को 'अनधिकृत कब्जाधारी' मानकर हटाने का प्रयत्न है, जो सदियों से नर्मदा किनारे और आसपास बसते आए हैं। उन्होंने कहा 'यह आदेश आदिवासियों के आशियाने उजाड़ने और उन्हें बेघर करने की साजिश है। जल-जंगल-जमीन हमारे पूर्वजो की विरासत है —